

आवेदन क्र. 1936/20/1006/15-16, दिनांक 01/10/92

// न्यायालय अनुविभागगीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास

छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा *

प्रकरण क्रमांक 3/बी-113818/88-89

अध्यक्षा,

शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

आदेश

21/6/92

अध्यक्षा, शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा द्वारा एक आवेदन मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम 1951 §जितेअत्र पश्चात् अधिनियम कहा गया है § की धारा -4 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में यह व्यक्त किया है कि शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा §जिते अत्र पश्चात् न्यास कहा गया है § शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा का उद्देश्य स्कूली छात्रों को जो गरीब हैं उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना गरीब व्यक्तियों के इलाज हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, संस्कृत भाषा का प्रचार करना, अन्धों, बहरे, मूंगे, गरीब व्यक्तियों को सहायता, गरीब विधवाओं को सहायता प्रदान करना, शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा की स्थापना धानी छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा में होगी । आवेदक द्वारा आवेदन का विधिवत् स्थापन किया गया है । एवं नियमावली प्रस्तुत की गई । आवेदक ने शक्ति ट्रस्ट को न्यास के रूप में पंजीयकरण करने की प्रार्थना की है ।

2- प्रकरण पंजीकृत किया गया ।

3- आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिपेक्ष्य में अधिनियम की धारा - 5§2§के अधिन लोक सूचना दिनांक 24/9/92 को जारी की गई तथा मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 30/10/92 को किया गया । लोक सूचना का प्रकाशन होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में उसके पश्चात् किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ।

4- अधिनियम की धारा -5§1§ के अन्तर्गत लोक न्यास का पंजीकृत किये जाने के पूर्व निम्न बिन्दुओं पर जांच की जाना है :-

§क§ क्या शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा लोक न्यास है ।

§ख§ क्या लोक न्यास की कोई सम्पति है ।

§ग§ क्या न्यास की सम्पति इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है ।

§घ§ क्या न्यास के अन्तर्गत कोई व्यक्ति है प्रक्रिया के अधीन है ।

193

§च§ न्यास का उद्भाव प्रकृति क्या होगा ।

§छ§ न्यास की वाणिज्य आय तथा व्यय ।

§ज§ आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा §4§§3§ के अधीन प्रस्तुत किये गये आवेदन की सत्यता ।

5-प्रकरण का अधोपान्त अवलोकन किया गया तथा ट्रस्टियों को सूना गया ।

6-अधिनियम की धारा -5§1§ के अधीन जंच करने के उपरान्त उपरोक्त वर्णित पैरा के सम्बन्ध में मैं निम्नानुसार निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ ।

§द§ शांति ट्रस्ट का न्यास मुख्य उद्देश्य जनता की तथा विद्यार्थियों को सहायता प्रदाय करना है । अतः अधिनियम की धारा -2 §4§ के अधीन शांति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा न्यास एक जनता की मालाई का न्यास है ।

§धा§-प्रकरण में सलग्न अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शांति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा न्यास की अचल सम्पत्ति गाम छिन्दवाड़ा में ब्लॉक नम्बर 45 नजूल प्लॉट क्रमांक 2/1, 2/2, कुम्हा क्षेत्रफल 9,09799 वर्गफुट जमीन है ।

§ग§ न्यास की अचल सम्पत्ति मेरे अधिकार क्षेत्र अर्थात् तहसील व जिला छिन्दवाड़ा में स्थित है ।

§घ§ शांति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा ट्रस्ट के न्यासियों के नाम व पते अपने प्रतिवेदन के साथ दिये गये हैं जो निम्नानुसार है :-

1-रानी इन्दुमति विधावा राजा बहादुर लीलाधर सिंह निवासी छिन्दवाड़ा

2-कु0 बानदा देवी पुत्री श्री राजबहादुर, लीलाधर सिंह निवासी छिन्दवाड़ा

3-श्रीमती लक्ष्मीबाई पति श्री व्ही0एम0 चित्ते अधिवक्ता सिलक नगर चित्तौड़पुर ।

4- श्रीमती सुधा राजपूत पत्नी जी0एल0एस0 राजपूत सेवा निवृत्त जिलाध्यक्षा, सिविल लाईन नरसिंहपुर ।

5- श्रीमती रेणु वर्मा पति डा0 प्रकाश चन्द्र वर्मा सिविल लाईन छिन्दवाड़ा ।

उपरोक्त न्यासियों के विरुद्ध कोई विपरीत अभिव्यक्ति इस न्यायालय में प्राप्त नहीं है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10/3/89



86
21/1/90
मुख्य न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

के अनुसार न्यास के उपरोक्त वर्णित न्यपत्ती होगे ।

§डू- आवेदक द्वारा न्यास से सम्बन्ध में नियमावली प्रस्तुत की गई है । जो प्रदर्श पी-1 न्यास के कार्यकारिणी मंडल की संख्या -5 होगी आवेदक ने नियमावली में न्यासी मंडल सयोजक, एवं कार्यकारी समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चयन एवं इनकी चयन एवं चयन की प्रक्रिया के संबंध में उल्लेख किया है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत नियमावली प्रदर्श पी-1 की इस आदेश का ही एक अंग माना जाता है ।

§छ- न्यास का उद्देश्य :- शक्ति ट्रस्ट का उद्देश्य जनता की सेवा एवं छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रदाय करने बाबत ।

§छ- शक्ति ट्रस्ट की आय व्यय :- सदस्यों द्वारा प्राप्त धन राशि से ।

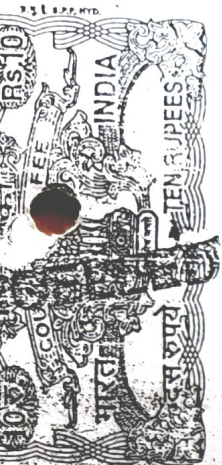
§ज- आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा -483 के अधीन प्रस्तुत किये गये आवेदन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । आवेदक द्वारा अपने आवेदन में जो तथ्य उठाये हैं । उससे यह स्पष्ट होता है कि इस न्यास का उद्देश्य जनता की सेवा करना एवं गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है । चूंकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ।

ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा -483 के अधीन प्रस्तुत आवेदन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

7- उपरोक्त विवेचना से मेरे इस निष्कर्ष पर पहुंचता हू कि शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा अधिनियम की धारा -284 के अधीन लोक न्यास है जिसकी अचल सम्पत्ति छिन्दवाड़ा स्थित ब्लॉक नम्बर 45 न्यूज प्लॉट नम्बर 2/1, 2/2 क्षेत्रफल 909799 वर्ग फुट जमीन पर स्थित है । यह सम्पत्ति निरंक है ।

8- अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा को लोक न्यास मानते हुये इसका पंजीकरण किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

9- चूंकि शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा लोक न्यास है । अतः अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत यह आदेशा दिये जाते हैं कि अधिनियम की धारा -35 के अन्तर्गत बने मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 38, 39, 40 के अनुसार संधारित की जाने वाली प्रक्रिया प्राप्ति के अधीन है । §11 के उपरोक्त की विविध प्रविष्टियों की जांच तथा इन प्रविष्टियों का प्रकाशन न्यायालय के सूचना फलक पर की जाए । इसके साथ ही साथ मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-8 के



पस
2/6/9
निर्वाह अधिकारी
छिन्दवाड़ा

अन्तर्गत पास-111 मे इस आदेश की पूर्वाष्ट की जाए ।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पक्षाकार सूचित हो ।

आदेश की प्रति कलेक्टर, छिन्दवाड़ा तथा आवेदक को भेज दी जाए ।

[Signature]
21/6/97

अनुविभाग प्रमुख, /

पंजीयक लोक न्यायिक छिन्दवाड़ा

संज्ञांकन क्रमांक / 12 / प्र. अ. वि. भ. / 97, छिन्दवाड़ा दिनांक 13/6/97
प्रतिलिपि:

1- कलेक्टर, छिन्दवाड़ा को सूचनाार्थ ।

2- अध्यक्ष, शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा को सूचनाार्थ ।

[Signature]
21/6/97

अनुविभाग प्रमुख, /

पंजीयक लोक न्यायिक छिन्दवाड़ा



SHRI SHAKTI TRUST

[Signature]

Trustee/Authorised Signatory

[Signature]
Director

Sant Sri Asharamji Gurukul
Sr. Sec. School Chhindwara (M.P.)

सत्यप्रतिनिधि
[Signature]
मुख्य न्यायाधीश
जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा

(1) प्रतिलिपि के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने का तारीख	21.11.97
(2) आवेदन को उपस्थित होने के लिये बुलाई गई तारीख	
(3) आवेदन को उपस्थित होने की तारीख	21.11.97
(4) सही प्रतिकारी के अभाव में न्यायिक कार्य न करी जा सका दिखाने की तारीख	
(5) प्रकरण के अभाव में प्रतिलिपि वसूली/रद्द करने का प्रति नहीं देने की तारीख	
(6) न्यायिक कार्य के लिये जारी जातफारी देने की तारीख	
(7) न्यायिक कार्य होने का तारीख	21.11.97
(8) न्यायिक कार्य होने का तारीख	21.11.97
(9) न्यायिक कार्य होने का तारीख	20-11-97
प्रतिलिपिदार	<i>[Signature]</i>
निर्वाहक	<i>[Signature]</i>
मुख्य न्यायाधीश	<i>[Signature]</i>
जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा	